प्रार्थना पर उठे सवाल आखिर वो नाम किसका था?

प्रार्थना, भक्तिगीत, राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान हमें तब अखरने लगता है जब हम अपना चट्टा बदल लेते हैं। हाल के दिनों में दोनों ही गान विवादों में आई। कितना अच्छा होता कि प्रार्थना और राष्ट्रगीत को इन विवादों से दूर रखते। व्यक्ति कब गाए, कहां गाए आदि को नागर समाज के विवेक पर भी तो छोड़ा जा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र के एक स्तम्भ न्यायपालिका को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ता है कि सरकार जवाब दे, सरकार जवाबदेही तय करे कि कब कहां कैसे किसी को राष्ट्रगान करना है। किस स्कूल में किस राज्य में कौन सी प्रार्थना गई जाए यह स्कूलों के विवेक पर भी तो छोड़ा जा सकता है। एचएम डीएवी दरियागंज़ जहां अस्सी फीसदी बच्चे मुसलमान हैं वहां भी प्रार्थना में इतनी शक्ति हमें देना दाता गाई जाती हैं। वहां मां शारदे भी गाई जाती है। इस स्कूल के प्रधानाचार्य रमाकान्त तिवारी कहते हैं कि स्कूलो और छात्रों को छात्र ही रहने दें। शिक्षकों को पढ़ाने दें और छात्रों को पढ़ने दें। स्कूलों को राजनीति प्रतिरोध और युद्ध का अखाड़ा न बनाएं।

लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी....इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो न...ऐ मालिक तेरे बंदे हम...आदि पंक्तियों को पढ़ सुनकर ही हम सब बड़े हुए हैं। यदि हम सब अपने बचपन में लौटें तो इन प्रार्थनाओं के बगैर हमारा स्कूली दिन पूरा नहीं होता था। यह अलग बात है कि प्रार्थना में या तो हम बुदबुदाते थे या फिर ऊंची-ऊंची आवाज में इन पंक्तियों को चिल्लाया करते थे। लेकिन हर बच्चे की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करती थी सुबह का प्रार्थना। तब हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इससे हमारी भावना आहत होती है। हमारी समझ भी उतनी पुख़्ता नहीं थी कि इन पंक्तियों के मायने क्या होते हैं। बस हम लोग गा दिया करते थे। लेकिन हाल ही में किसी दानिश सज्जन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की कि इन प्रार्थनाओं से कुछ खास संप्रदाय, क़ौम की भावनाएं चोटिल होती हैं। इन पंक्तियों को गाने से नास्तिक लोगों की भावनाएं आहत होती हैं आदि। ऐसे मंतिखों पर हंसी ही आती है कि इन प्रार्थनाओं में भी उन्हें संप्रदाय और धर्म अहम होते हुए नज़र आती हैं। जबकि इन पंक्तियों में देशप्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना की ओर ध्यान दिया गया है।

केंद्रीय विद्यालय में पिछले 25 वर्षों से एक प्रार्थना सुबह होती है उस पर श्रीमान को एतराज़ था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बाबत केंद्रीय विद्यालय संगठन को जवाब देने का आदेश दिए हैं। यदि उन पंक्तियों पर गौर करें तो क्या कोई शब्द, वाक्य ऐसे मिलेंगे जिनमें विरोध के स्वर निकलें। पंक्ति हैं- दया कर दान विद्या का, हमें परमात्मा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर, प्रभु रहना सीखा देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना आदि पंक्तियों में ईश्वर, प्रभु, वास्ते, फिदा, वतन आदि शब्दों को प्रयोग किया गया है। इन शब्दों में उर्दू, फारसी, हिन्दी और संस्कृति के शब्दों को शामिल किया गया है जो एक बहुभाषायी समाज और भाषायी विविधता का परिचय और शैक्षिक-दर्शन को आधार बना कर प्रार्थनाएं लिखी और स्कूलों में गाने के लिए चुनी गई हैं। लेकिन साहब को इन पर एतराज़ है। अब आपत्ति का क्या है किसी को भी विरोध और विवाद खड़ा करना हो तो किसी भी बात पर की जा सकती है। वह तर्क नहीं बल्कि कुतर्क की श्रेणी में आता है। यदि यही आधार है प्रार्थना पर विवाद करने का और सर्वोच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज़ करने का तो उन्हें हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में शामिल झांसी की रानी, पुष्प की अभिलाषा एवं देशभक्ति गीतों को भी निकाल बाहर करने की आवाज़ बलंद करनी चाहिए।

सूर्य नमस्कार को प्रार्थना के तौर पर अपनाने पर भी विवाद उठा था। इस तरह से प्रार्थनाओं और योग करते वक़्त खास मंत्रों को बोलने को लेकर भी मत विभिन्नताएं दरपेश होती रही हैं। लेकिन हमें इन विवादों के बीच से यह समझना होगा कि क्या इन तर्कों और समझ के पीदे किस प्रकार का समाजशास्त्र और शिक्षा-दर्शन काम कर रहा है। जबकि कई बार शैक्षिक दर्शन को ताक पर रख कर हम सिर्फ़ किसी खास विचारधारा की स्थापना के लिए कुतर्कों का सहारा लेते हैं। प्रार्थनाएं गाते वक़्त बच्चे के मन में क्या चल रहा है यह स्पष्ट तौर पर समझना मुश्किल है। लेकिन जब हम बच्चों से इन प्रार्थनाओं पर विमर्श करते हैं और उन्हें उनके मायने बताते हैं तब प्रार्थनाओं के निहितार्थों की परतें खोलते हैं। यहां हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं हम बच्चों के मन एवं भावनाओं को आहत व चोटिल तो नहीं कर रहे हैं। प्रो. कृष्ण कुमार ने दो दशक पहले एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने स्कूलों में होने वाली प्रार्थनाओं का विश्लेषण किया था। उन प्रार्थनाओं के करने की शैली और दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की थी। उस आलेख को आज के संदर्भ में बांचने की आवश्यकता है।

यदि यह तर्क देकर केंद्रीय विद्यालय में होने वाली प्रार्थना का वापस लेने की बात की जा रही है तो यह ग़ैर वाज़िब और कुतर्क ज़्यादा नज़र आता है। जबकि हमें कविता, कहानी, गीत आदि के निहित अर्थों के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ और पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है। तब वे रचनाएं ग़लत नहीं लगेंगी। जैसा कि ऊपर ध्यान दिलाया गया कि झांसी की रानी, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प तो महज एक बिंब व प्रतीक के तौर पर इस्तमाल किया गया है। उसका अर्थ व्यापक है कि जो भी देश रक्षा और देश हित में जा रहा है। अपनी जान की बाज़ी लगा कर दिन रात डटा हुआ है उसके लिए हमारे मन में सम्मान और आदर के भाव तो होने ही चाहिए। यदि बच्चे को यह भावना बताई जा रही है कि देश प्रेम के लिए प्रभु से कामना की जाए तो इसमें क्या हर्ज़ है। यदि अपने देश से मुहब्बत करना और अपने सैनिकों का सम्मान करना ग़लत और साम्प्रदायिक है तो यह अनुचित दुराग्रह ही कहना होगा। तमाम आस ग्रंथों के प्रति हमारे निरादर के भाव ही झलकते हैं। यदि बच्चा शांति पाठ करता है। यदि उसे यह सिखाया जा रहा है कि वतन के वास्ते जीना और वतन के वास्ता मरना देश प्रेम का एक हिस्सा है तो इसमें ग़लत कहां से लगता है। यदि बच्चे को प्रार्थना में इस भावना से परिचय कराने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया में प्रेम हो, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या, वैमनस्य न रखे तो इस प्रार्थना में कहां आपत्ति की जगह बनती है।

शब्दों के चुनाव और शब्दों के प्रति तो आपत्तियां उठती ही रही हैं। मसलन मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस बाबत कुछ शब्दों की सूची भी दी गई कि उर्दू, फारसी आदि शब्दों को पाठ्यपुस्तकों से बाहर किया जाए। मसलन, रोशनी, दरकार, रोज़ आदि जलो आम फहम जिंदगी में इस्तमाल होते हैं उनकी जगह पर हिन्दी व संस्कृत के शब्दों को शामिल किया जाए। यह किसी भी शिक्षाविद को स्वीकार नहीं होगा। साथ ही भाषाविदों और भाषा वैज्ञानिकों को भी